



**राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर**  
**राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, दूरभाष : 0141—2552796**

क्रमांक : प.11(5) / RSSB / वाहन / 2021-22 / १८

दिनांक: 13.12.2021

**खुली निविदा सूचना (09/2021-22)**

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर में किराए के वाहन मासिक/आवश्यकतानुसार लेने के लिए अनुभवी/पंजीकृत टैक्सी/वाहन मालिकों से निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र. सं	विषय	अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि
1.	<p><b>आकस्मिक यात्राओं हेतु:-</b></p> <p>(क)- <b>टैक्सी वाहन</b> जयपुर (स्थानीय), राजस्थान एवं दिल्ली हेतु आवश्यकतानुसार वाहन।</p> <p>(ख)- <b>मिनी बस/बस/टैम्पो/ट्रक</b> परीक्षाओं के आयोजन हेतु आवश्यकतानुसार वाहन।</p>	रु. 5.00 लाख  	रु. 400/- सचिव राज. कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम डिमांड ड्राफ्ट/बैंक चेक के माध्यम से जमा कराना होगा।	अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत राशि की 50 रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर बोली प्रतिभूति सुरक्षा घोषणा पत्र संलग्न परिशिष्ट “ए”

निविदा प्रपत्र मय शर्तों एवं विवरण सहित विभागीय वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in)

एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.raj.nic.in> पर दिनांक 13.12.2021 से उपलब्ध है। तथा भरी हुई निविदाएँ दिनांक 20.12.2021 को अपरान्ह 3:00 बजे तक स्वीकार की जावेंगी। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 20.12.2021 को अपरान्ह 4:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष कमेटी द्वारा खोली जावेंगी।

सचिव  
संलग्न

बिड प्रपत्र क्रमांक - 2021-22 / .....  
 बिड प्रपत्र का मूल्य :- 400/-  
 बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि .....  
 (अप्रार्थ्न 3:00 बजे तक)

## राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

## राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

बिड प्रपत्र

आकस्मिक यात्राओं हेतु/आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर लेने हेतु



## बोलीदाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर

## “ दर अनुसूची ”

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	दर प्रति कि.मी. (GST टोलटैक्स व अन्य सभी करों सहित) (राजस्थान राज्य की यात्राओं/राज्य से वाहर की यात्राओं हेतु) (प्रतिदिन न्यूनतम 250 कि. मी. चलन के आधार पर) कर सहित	दर प्रति कि.मी. जयपुर शहर में (राजस्थानीय कार्यों के लिए) (GST टोलटैक्स व अन्य सभी करों सहित) (प्रतिदिन न्यूनतम 80 कि.मी. चलन के आधार पर ) कर सहित
<b>A- टैक्सी वाहन</b>			
1	टाटा इण्डिका/समकक्ष वाहन (Non A.C.)		
2	टाटा इण्डिका/समकक्ष वाहन (AC)		
3	टाटा इंडिगो/स्विप्ट डिजायर/SX-4 समकक्ष (Non A.C.)		
4	टाटा इंडिगो/स्विप्ट डिजायर/ SX-4 समकक्ष (A.C.)		
5	टवेरा/समकक्ष वाहन (Non A.C.)		
6	टवेरा/समकक्ष वाहन (A.C.)		
7	विंगर/ट्रेक्स/समकक्ष वाहन (Non A.C.)		
8	विंगर/ट्रेक्स/समकक्ष वाहन (A.C.)		
9	इनोवा/Xylo/समकक्ष वाहन (Non A.C.)		
10	इनोवा/Xylo/समकक्ष वाहन (A.C.)		
<b>B- मिनी बस/बस/टैम्पो/ट्रक</b>			
11	बस बड़ी		
12	मिनी बस		
13	पिकअप/समकक्ष वाहन ( )		
14	मिनी ट्रक 407		
15	मिनी ट्रक 609		
16	LP ट्रक 18 फुट/1109 19 फुट		

**नोट:-** दरें सभी प्रकार के कर, पेट्रोल/डीजल/ऑयल एवं चालक सहित हैं।

दिनांक  
संलग्न :-

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
मय फर्म की मोहर

## बिड की शर्तें

नोट :— बोलीदाता को बिड में अपने कोटेशन देते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

1. बिड यथोचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द कर भेजी जानी चाहिए। जिस पर “वाहन किराये हेतु बिड” अंकित होना चाहिये।
2. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। दरों का अंकन अंकों के साथ शब्दों में भी किया जाना चाहिए। शब्दों में अंकित दर मान्य होगी।
3. वाहन अनुभवी एवं लाइसेंसधारी चालक द्वारा ही चलाये जायेंगे तथा वाहन से संबंधित समस्त कागजात एवं वैध लाइसेंस चालक को साथ रखने होंगे।
4. आर.टी.ओ. द्वारा निर्धारित समस्त कर फर्म को ही वहन करने होंगे तथा आवश्यक होने पर परमिट भी फर्म को स्वयं अपने खर्च पर ही प्राप्त करना होगा।
5. किसी भी यांत्रिक/परिस्थितिजन्य त्रुटि के कारण बोर्ड के प्रयोजनार्थ की जा रही यात्रा में यदि वाहन की व्यवस्था पर बोर्ड को अतिरिक्त मूल्य, वहन करना पड़ा तो उक्त राशि फर्म के बिल में से समायोजित की जायेगी।
6. वाहन चालक द्वारा अपनी ओर से किसी भी अन्य व्यक्ति को वाहन द्वारा यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। वाहन चालक को निर्धारित वर्दी में होना आवश्यक है।
7. वाहन चालक को नियमानुसार लॉग बुक का संधारण करना होगा।
8. बिड में दी गई दरें अनुबंध से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी।
9. अनुमोदित प्रदायक की दरें स्वीकृत किये जाने एवं कार्य आदेश दिये जाने पर 15 दिवस में उचित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरों एवं शर्तों के अनुरूप करारनामा निष्पादित करना होगा।
10. अनुमोदित प्रदायक को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक वाहन जो बोर्ड के कार्य हेतु प्रस्तुत होना है, में किलोमीटर रीडिंग दर्शाने वाला मीटर सही ढंग से कार्य कर रहा है।
11. बोर्ड के प्रयोजनार्थ यात्रा में यदि किलोमीटर रीडिंग असामान्य प्रतीत होती है अथवा माईलोमीटर चलते चलते बन्द हो जाता है तो किलोमीटर का निर्धारण पी.डब्ल्यू.डी./रोडवेज द्वारा प्रकाशित मानचित्र में अंकितानुसार किया जाकर भुगतान किया जा सकेगा।
12. सामान्यतः वाहन राजस्थान राज्य में स्थित शहरों में ही भेजे जायेंगे, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर राज्य से बाहर भी भेजे जा सकते हैं। राजस्थान के बाहर भेजे जाने पर बोर्ड अलग से कर वहन नहीं करेगा। समस्त कर फर्म को ही वहन करने होंगे।
13. यदि किसी कारण से मुख्यालय के बाहर वाहन का रात्रि ठहराव रहता है तो वाहन चालक को राशि रु. 300 प्रति रात्रि का भुगतान किया जायेगा।
14. ठेकेदार को वाहन पर एक प्लेट यह उद्धृत करते हुए कि वाहन राजकीय कर्तव्य पर है। उपलब्ध करानी होगी। प्लेट ऐसी होगी कि इसके फ्रेम से खींचकर हटाया जा सके। वाहन के कर्तव्य से मुक्त होते समय यह प्लेट हटाकर प्रभारी अधिकारी के संरक्षण में रखनी होगी।
15. वाहन के मूल प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन पत्र बोर्ड कार्यालय द्वारा मंगाये जाने पर अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
16. अनुबंध अवधि में किसी भी संविदा विरुद्ध स्थिति फर्म/व्यक्ति द्वारा उत्पन्न होती है तो बोर्ड को फर्म की धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
17. बोलीदाता अपनी बिड अथवा उसके किसी भी भाग को ना तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा एवं न ही किसी को आगे बिड पर दे सकेगा।
18. सफल बोलीदाता को करार के समय बिड मूल्य की राशि का 2.5 प्रतिशत राशि कार्य संपादन (Performance Security) प्रतिभूति राशि के रूप में जमा कराने होंगे। कार्य संपादित प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार होंगी। कार्य संपादन प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

19. निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर बोलीदाता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि पूर्णतः या अंशतः जब्त कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में बोर्ड के सचिव का निर्णय ही मान्य होगा।
20. किसी भी प्रकार का अग्रिम संदाय बोर्ड द्वारा नहीं किया जावेगा।
21. वाहन सफल बोलीदाता को बोर्ड के निर्देशानुसार निर्देशित अवधि के लिए वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन समय पर नहीं पहुँचने पर वाहन मालिक की कोस्ट एवं रिस्क पर वाहन किराये पर लिया जावेगा जिसकी क्षतिपूर्ति वाहन मालिक से की जावेगी।
22. वाहन वर्ष 2016 एवं इसके बाद के अच्छी कन्डीशन के होने चाहिये। यदि विशेष परिस्थितियों में वर्ष 2016 से पूर्व के मॉडल के वाहन ठेकेदार भेजता है तो वाहन द्वारा दी गई सेवाओं को देखते हुए किराये में से उचित राशि की कटौती करने का अधिकार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर का होगा।
23. वाहन का पंजीयन “टी” “पी” अथवा “जी” श्रेणी में होना चाहिये।
24. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों के भुगतान में से प्रत्येक भुगतान में से नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जावेगा।
25. निश्चित दिनांक व प्राप्ति समय के पश्चात् प्राप्त बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
26. दरें डीजल, पेट्रोल एवं ऑयल एवं वाहन चालक सहित दी जावेगी तथा अनुबंध की अवधि के दौरान यदि डीजल, पेट्रोल एवं ऑयल के मूल्य में वृद्धि होती है तो भी दरों में वृद्धि नहीं की जायेगी।
27. यदि वाहन किसी कारणवश खराब हो जाता है तो वाहन स्वामी को अविलम्ब, अपने स्तर से दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा।
28. बोर्ड से सूचना प्राप्त होने के बाद तुरन्त बोलीदाता को वाहन किराये पर उपलब्ध कराना होगा यदि बोलीदाता इसमें असफल रहता है तो बोर्ड द्वारा खुले बाजार से वाहन किराये पर लेने पर इसकी अन्तर राशि बोलीदाता से वसूल की जायेगी।
29. यदि बोलीदाता समय पर/सही वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है अथवा उसका/वाहन चालक का व्यवहार ठीक नहीं रहता है तो बोर्ड को किसी भी समय पर उचित अवसर देकर अनुबंध समाप्त करने एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा।
30. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा लागू/प्रभावी समस्त दायित्वों/नियमों का बोलीदाता द्वारा निर्वहन करना होगा।
31. अनुबंधित वाहन में यात्रा के दौरान वाहन चालक की लापरवाही या बरसात के मौसम में वाटरप्रूफ त्रिपाल नहीं लगाने या अन्य लापरवाही के कारण कोई हानि होती है तो वह अनुबंधित वाहन मालिक से वसूली जावेगी।
32. यात्रा के दौरान दुर्घटनाग्रस्त/टूट-फूट/चालान आदि होने पर इस कार्यालय का कोई दायित्व नहीं होगा तथा उक्त स्थिति में होने वाले व्यय के लिए संबंधित अनुबंधकर्ता उत्तरदायी होगा। यदि दुर्घटना में इस कार्यालय/संस्था को कोई हानि होती है तो उसका दायित्व अनुबंधकर्ता वाहन मालिक/फर्म का होगा।
33. पथकर (टोलटैक्स) एवं पार्किंग चार्जेज के सिवाय समस्त कर व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे। व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म/ द्वारा संदत पथकर (टोलटैक्स) एवं पार्किंग चार्जेज का पुनर्भरण संदाय की रसीद प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
34. किसी भी वैधानिक वाद की स्थिति में फर्म द्वारा संस्थित किये जाने वाले दावे यदि आवश्यकता पड़े जयपुर में स्थित न्यायालय में ही प्रारंभ करने होंगे, किसी अन्य स्थान पर नहीं।

सचिव  
राज0 कर्मचारी चयन बोर्ड,  
जयपुर

उपरोक्त समस्त शर्तें मुझे/हमें स्वीकार हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
एवं फर्म की मोहर

## अनुबन्ध पत्र

1. यह करार आज दिनांक ..... को एक और मैसर्स ..... । ( जिसे इसमें इसके पश्चात “अनुमोदित प्रदायक” कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ के अनुकूल हो उसके वारिश, उत्तराधिकारी, निष्पादक तथा प्रशासक समिलित समझे जायेंगे ) दूसरी और सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात “बोर्ड” कहा गया हैं जिस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ के अनुकूल हो, उनके उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती समिलित समझे जायेंगे ) के बीच सम्पन्न किया गया है ।
2. यह करार दिनांक ..... से एक वर्ष तक मान्य होगा । इसके आगे एक वर्ष की अवधि पारस्परिक सहमति से उसी दर से बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए बोर्ड बाध्य नहीं है ।
3. अनुमोदित प्रदायक सभी गिड शर्तों का पालन करते हुए सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की स्वीकृति दरों (जो उन्होंने अपने पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा सूचित की हैं) मे डीजल/पेट्रोल/ऑयल अन्य सभी कर टोल टैक्स, GST सहित वाहन किराये पर उपलब्ध कराने को सहमत होगा ।
4. जयपुर से बाहर की यात्राओं हेतु वाहनों के लिए 250 किलोमीटर प्रतिदिन न्यूनतम चलन के आधार पर किराया देय होगा । स्थानीय कार्यों हेतु न्यूनतम 80 किलोमीटर प्रतिदिन चलन आधार पर देय होगा । एक दिन की गणना कार्यालय में वाहन उपलब्ध कराने से अगले 24 घंटे तक की जायेगी । वाहन कार्यालय में आते ही प्रभारी को वाहन के आने की प्रविष्टि एवं वाहन का किलोमीटर व समय नोट कराना होगा ।
5. अनुमोदित प्रदायक ने ..... रूपये प्रतिभूति राशि के रूप में रसीद संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा जमा करा दी है ।
6. रास्ते में वाहन खराब होने पर उसे ठीक कराने में लगने वाले समय एवं व्यय को बोर्ड वहन नहीं करेगा तथा फर्म को तुरन्त दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी । जिसमें होने वाले समस्त व्यय फर्म ही वहन करेगी । किसी भी प्रकार का अग्रिम वाहन मालिकों को नहीं दिया जावेगा ।
7. इस करार के संबंध में होने वाले समस्त विवाद इस करार के निर्वचन सम्बन्धी समस्त प्रश्न सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे तथा बोर्ड के सचिव का विनिश्चय अंतिम होगा ।
8. बोर्ड द्वारा जारी शर्त ही मान्य होगी ।
9. भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जावेगा ।
10. GST जमा कराने का प्रमाण पत्र अगले बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा । जिसके अभाव में बिल पारित किया जाना संभव नहीं होगा ।
11. वाहन का पंजीयन “टी” “पी” अथवा “जी” श्रेणी में होना चाहिये ।
12. वाहन वर्ष 2016 एवं इसके बाद के अच्छी कन्डीशन के होने चाहिये यदि विशेष परिस्थितियों में वर्ष 2016 से पूर्व के मॉडल के वाहन ठेकेदार भेजता है तो वाहन द्वारा दी गई सेवाओं को देखते हुए निर्धारित किराये में से उचित राशि की कटौती करने का अधिकार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को होगा ।
13. बिड प्रपत्र में वर्णित एवं संलग्न सभी शर्त मान्य होगी ।
14. बिड की शर्त करार का ही भाग होंगी । दरें नियमानुसार होंगी :—

### “ दर अनुसूची ”

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	दर प्रति कि.मी. GST टोलटैक्स व अन्य सभी करों सहित (राजस्थान/राज्य से बाहर की यात्राओं हेतु) (प्रतिदिन न्यूनतम 250 कि.मी. चलन के आधार पर)	दर प्रति कि.मी. (स्थानीय कार्यों के लिए) GST टोलटैक्स व अन्य सभी करों सहित (प्रतिदिन न्यूनतम 80 कि.मी. चलन के आधार पर )
	<b>A- टैक्सी वाहन</b>		
1	टाटा इण्डिका/समकक्ष वाहन (Non A.C.)		
2	टाटा इण्डिका/समकक्ष वाहन (AC)		
3	टाटा इंडिगो/स्विफ्ट डिजायर/SX-4 समकक्ष (Non A.C.)		
4	टाटा इंडिगो/स्विफ्ट डिजायर/ SX-4 समकक्ष (A.C.)		
5	टवेरा/समकक्ष वाहन (Non A.C.)		
6	टवेरा/समकक्ष वाहन (A.C.)		
7	विंगर/ट्रेक्स/समकक्ष वाहन (Non A.C.)		
8	विंगर/ट्रेक्स/समकक्ष वाहन (A.C.)		
9	इनोवा/Xylo/समकक्ष वाहन (Non A.C.)		
10	इनोवा/Xylo/समकक्ष वाहन (A.C.)		
	<b>B- मिनी बस/बस/टैम्पो/ट्रक</b>		
11	बस बड़ी		
12	मिनी बस		
13	पिकअप/समकक्ष वाहन ()		
14	मिनी ट्रक 407		
15	मिनी ट्रक 609		
16	LP ट्रक 18 फुट/1109 19 फुट		

इसके साक्ष्य में इसके दोनों पक्षों ने दिनांक ..... को अपने हस्ताक्षर किये हैं ।

**BID SECURING DECLARATION FORM**

Bid No.: \_\_\_\_\_ Dated \_\_\_\_\_

To \_\_\_\_\_  
The \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Respected Sir,

We, the undersigned, declare that:

We, M/s..... (herein referred as vendor) understand that, according to bid Clause No. \_\_\_\_\_, bids may be supported with a Bid Securing Declaration, Vendor render the declaration that:-

Vendor will automatically be suspended from being eligible for bidding in any contract with the Rajasthan Staff Selection Board (herein referred as Purchaser) for the period of 3 years, starting on bid submission closing date, if Vendor are in breach of any of the following obligation(s) under the bid conditions: -

- a) If a Bidder withdraws the proposal or increases the quoted prices after opening of the Proposal and during the period of Bid validity period or its extended period, if any.
- b) In case of a successful Bidder, if the Bidder fails to sign the Agreement in accordance with the terms and conditions (including timelines for execution of the Agreement) of this RFP or fails to furnish the Performance Bank Guarantee in accordance with the terms and conditions (including timelines for furnishing PBG) of this RFP.
- c) During the Bid process, if a Bidder indulges in any act as would jeopardize or unnecessarily delay the process of bid evaluation and finalization.

Vendor understands that this declaration shall expire if Vendor is not the successful Bidder and on receipt of purchaser's notification of the award to another Bidder; or thirty days after the validity of the Bid; whichever is earlier.

(Signature)

Authorized Signatory

Name: \_\_\_\_\_

Designation: \_\_\_\_\_

Office Seal: \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_